


दिल्ली विकास प्राधिकरण

[वित्त तथा व्यय]

एफ एवं ई परिपत्र संख्या 21/ 2013

दिनांक 25.07.2013 के एफ एवं ई परिपत्र संख्या 14/2012 के आंशिक आशोधन में यह सूचित किया जाता है कि संविदा आधार पर लिपिक-सह-टंकक के रूप में नियुक्त डीजीआर कार्मिकों को देय मासिक पारिश्रमिक/ शुल्क के मुद्दे की उनकी सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा आहरित किए जा रहे ग्रेड वेतन में विविधता को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। अब, वित्त सचिव, डीडीए द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ये डीजीआर कार्मिक संविदा की अपनी मौजूदा अवधि के पूरा होने तक प्रति माह 15,000/-रुपए की समेकित पारिश्रमिक आहरित करते रहेंगे। तथापि, वे उपर्युक्त परिपत्र संख्या 14/2013 के संदर्भ में अपने समकक्ष सेवारत रैंक के अधिकारियों के समान यात्रा भत्ते हेतु पात्र होंगे।



[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.16(24) 2008/ डीडीए भाग/ 524

दिनांक: 5.9.13

प्रतिलिपि:-

1. पत्र की सूचना के लिए विशेष कार्याधिकारी, उपाध्यक्ष, डीडीए;
2. निजी सचिव, एफएम/ ईएम/ पीसी, डीडीए;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी/ सी.एल.ए., डीडीए;
4. श्री वी.के. दयालु, सलाहकार, उपाध्यक्ष (एसए तथा जीआर), डीडीए
5. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव, डीडीए;
6. सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य वास्तुकार, डीडीए;
7. निदेशक (कार्मिक)- I तथा II;
8. उप सी.ए.ओ. (मुख्यालय)-I, II तथा III
9. लेखा अधिकारी (पीई/ आकस्मिकता)/ पीएओ (ईडब्ल्यू);
10. गार्ड फाइल/ ई.ओ. पुस्तक।
11. केवल हिंदी अनुवाद हेतु हिंदी अधिकारी।



लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]

दिल्ली विकास प्राधिकरण